एक और जिम्मेवारी

कर्नाटक की सुश्री पद्मा के अनुभव

"पंचायती राज विधेयक पास हुआ। पंचायतों में औरतों की भागीदारी होगी। आशा जागी। उम्मीदें बढ़ीं। औरतें कमर कस मैदान में उतर पड़ीं। सरकार ने अपनी पुरानी चाल चली। पंचायती राज कार्यक्रम की सफलता का ज़िम्मा भी औरतों के कंधे पर डाल दिया। साथ ही सरकारी प्रशिक्षण केन्द्रों से इन औरतों को विधिवत ट्रेनिंग देने के प्रयासों को जोर-शोर से लागू करने की कोशिशें भी की गईं। ऐसा इसलिए कि सरकार अपने मौजूदा ढांचों को बरकरार रखना चाहती है। असमानता और गैरबराबरी के ढांचों को। इससे हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं।"

यह सोच है श्रीमती एम. वी. पद्मा की। पद्मा नेलामंगल मंडल पंचायत, कर्नाटक की सदस्या हैं। 54 साल की यह महिला देखने में किसी भी आम औरत की तरह नज़र आती है। पर उनकी उमंग और काम करने का हौसला देखते ही बनता है।

पद्मा का जन्म महाराष्ट्र के कारड ज़िले में हुआ था। एस. एस. एल. सी. की पढ़ाई पूरी करके 1966 में कर्नाटक में शादी हो गई। दो बच्चे हुए। अड़तीस साल की उम्र में उन्होंने घर की चार-दीवारी के बाहर अपना कदम राजनीति में रखा। पढ़ी-लिखी और मराठी, कन्नड़ और हिन्दी भाषा में पारंगत होने की वजह से कुछ ही समय में उन्होंने बड़ा नाम कमा लिया।

1978 में पद्मा ने पहली बार जनता दल के टिकट पर नेलामंगल नगरपालिका का चुनाव लड़ा और जीता। लगातार तीन बारी चुनाव जीता और नगरपालिका की सदस्या बनी रहीं। पंचायती राज विधेयक पास होने पर इस नगरपालिका को मंडल पंचायत का दर्जा दिया गया। उस समय पद्मा नगरपालिका में काउंसिलर के पद पर थी। अब वह इस मंडल पंचायत की सदस्या हैं।

कुछ शुरुआतें

पद्मा कहती हैं कि नगरपालिका को मंडल पंचायत का दर्जा मिलने से काफी फायदा हुआ है। पहले औरतों के लिए बनने वाली सभी योजनाओं की जिम्मेदारी नगरपालिका के अधिकारियों की थी। पर अब मंडल प्रधान को औरतों, बच्चों और समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरु करने की आजादी है।

अब तमाम विकास के काम जैसे, पीने के साफ पानी की व्यवस्था, सड़क निर्माण, बच्चों के लिए बालवाड़ी, वज़ीफे और होस्टल, रोज़गार योजनाएं आदि काम हम खुद कर पाते हैं। खासकर जबसे बंगलौर के जिला परिषद् ने नेलामंडल पंचायत के काम की देख-रेख की जिम्मेदारी संभाली है, तबसे काफी कार्यक्रम हमारे हाथ में आ गए हैं।

लड़कियों को जाति और आय के आधार पर वज़ीफे देने के लिए भी अब हमें काफी पैसा मिल

पाता है। स्कूल भी काफी खुल गए हैं। पहले हमें हर काम के लिए बंगलौर आना पड़ता था, पर अब यही काम हम अपने मंडल में कर पाते हैं।

औरतों के हालात—तब और अब

जब मैंने राजनीति में पहला कदम रखा था, तब के हालात आज से बहुत अलग थे। समाज बहुत रूढ़िवादी था। लोग पुराने ख्यालात के थे। एक औरत का इस तरह घर से बाहर निकलना, मर्दों के दायरे में काम करना बुरा माना जाता था। उस समय लोग मुझे कहते, "इसके घर में कोई काम नहीं है, इसलिए बाहर सड़क पर घूमती है।"

आज यह नजरिया बदल गया है। आजकल औरतें हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ मिलकर काम करती हैं। समाज में उनकी एक अलग पहचान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की औरतें भी साथ आ रही हैं। हमारे मंडल में छः औरतें हैं और सभी मिलजुल कर अच्छा काम कर रही हैं। और मेरी उम्मीद है कि धीरे-धीरे औरतों की संख्या में बढोत्तरी होगी।

हम लोगों ने अपने मंडल की औरतों के विकास के लिए महिला मंडल और आंगनवाड़ियों की शुरुआत करी है। इससे काफी औरतें काम के लिए मंडल में आने लगी हैं। और बढ़ी है इससे सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता की प्रक्रिया।

ज़रूरत है

पर पद्मा को इस पंचायती राज विधेयक की कुछ बातों पर ऐतराज भी है। वह मानती है कि औरतों के लिए तीस प्रतिशत आरक्षण से उन्हें मौके मुहैया होंगें। लेकिन दूसरी ओर सभापति के पद का भी सिर्फ औरतों के लिए आरक्षित होना ठीक नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर औरतें पढ़ी-लिखी नहीं हैं। वे राजनीति में भी नई हैं। इसलिए इस काम को बखूबी संभालने में उन्हें कम से कम पांच साल का समय लगेगा। वे इस सत्ता को अभी अच्छी तरह इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए ज़रूरत है पहले औरतों को प्रशिक्षण देने की। इससे अपनी जिम्मेदारी समझकर वह अच्छा काम कर पाएंगी।

दूसरा, सिर्फ सीट आरक्षित करना ही औरतों की भागीदारी की गारंटी नहीं है। ज़रूरत है काबिल और अनुभवी औरतों की। बिना जागरूकता के यह संभव नहीं है। औरत होने के साथ-साथ हिम्मत और सेवा-भाव भी ज़रूरी होता है।

हम सहमत हैं श्रीमती एम. वी. पद्मा के विचारों से। अब जब हमारे हाथ में सत्ता आ गई है तो इसका पूरी तरह से इस्तेमाल करना भी हमारा फ़र्ज है। पर पहले पुराने ढांचें की खामियों को दूर करना होगा। गैरबराबरी की खाइयों को पाटने के लिए प्रयास करने होंगें। जागरूकता बढ़ानी होगी। तभी सही मायने में प्रजातंत्र और लोगों की सरकार होगी। □